<u>न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, जायल(नागौर)</u>

पीठासीन अधिकारी – विकास राम चौधरी (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी निगरानी याचिका संख्या – 07/2025

–––––

1. रामकिशोर पुत्र खेमाराम,
2. जगदीश पुत्र रामकिशोर,
3. कांता पत्नी हरीराम,
4. हरीराम पुत्र रामकिशोर,
   निवासीगण सिलारियां, जिला नागौर

–– निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल, निवासी बरसूणा, तहसील जायल, जिला नागौर
2. राजस्थान सरकार, जरिये अपर लोक अभियोजक, जायल

–– गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2025 जो दीपिका रामावत(RJS), न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 06/2023 उनवान सरकार बनाम लिछमणराम में पारित किया गया।

<u>उपस्थित–</u>

1. **श्री मुन्नीलाल कड़वासरा,** विद्वान अधिवक्ता वास्ते निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण
2. श्री इंद्रसिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते गैर निगरानीकर्ता संख्या 01
3. **श्री हरीश पारीक**, विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

–ः <u>आदेश</u> ः– **<u>दिनांकः– 23.07.2026</u>**

01– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्तागण रामकिशोर व अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल जिला नागौर द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 06/2023 उनवान सरकार बनाम लिछमणराम में पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा मूल प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया।

02– निगरानीकर्तागण का मुख्य अभिकथन यह है कि पुलिस अनुसंधान निष्पक्ष था तथा उसमें उनके विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया। परिवादी द्वारा धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीतिक दबाव में दिया गया है। विवाद मूलतः भूमि एवं सम्पत्ति संबंधी सिविल प्रकृति का है। स्वतंत्र साक्षी पांचाराम के कथनों तथा मोबाइल कॉल डिटेल एवं लोकेशन से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक ढंग से प्रसंज्ञान लेकर सम्मन जारी किया जाना विधि विरुद्ध है।

03– इसके विपरीत, विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने केस डायरी, धारा 161 एवं 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित कथनों, चिकित्सकीय प्रतिवेदनों तथा अन्य अभिलेखीय सामग्री का परीक्षण करने के उपरांत प्रथमदृष्टया अपराध का घटित होना पाते हुए विधिसम्मत आदेश पारित

किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बचाव सम्बन्धी सामग्री का परीक्षण विचारण के दौरान ही सम्भव है; पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

04– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक की दलीलों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का संपूर्ण अभिलेख भी सावधानीपूर्वक अवलोकित किया गया।

05– संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 10.01.2023 की घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थीगण सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट, फसल को नुकसान पहुँचाने, झोंपड़ी में आग लगाने, छेड़छाड़ तथा अन्य अपराधों के आरोप लगाये गए, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान लिछमणराम एवं राजूदेवी के विरुद्ध धारा 341 एवं 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थीगण को अभियुक्त नहीं बनाया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के विरुद्ध भी प्रसंज्ञान लेने का निवेदन किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण कर प्रार्थीगण के विरुद्ध केवल धारा 447, 323, 324 एवं 341 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया तथा शेष धाराओं में पर्याप्त आधार न पाते हुए प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उक्त आदेश को वर्तमान पुनरीक्षण में चुनौती दी गई है।

06– इस संबंध में यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 397 एवं 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है। पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय की भाँति साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि केवल यह परीक्षण करता है कि आक्षेपित आदेश अधिकारिता के अभाव, प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि, भौतिक अनियमितता अथवा न्याय के घोर विफलन से ग्रसित है अथवा नहीं।

07– प्रसंज्ञान अथवा सम्मन जारी किए जाने के स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संकेत मिलता है या नहीं। इस स्तर पर साक्ष्य की विश्वसनीयता अथवा अन्तिम प्रमाणिकता का परीक्षण अपेक्षित नहीं होता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***K. Ramakrishna v. State of Bihar*, (2000) 8 SCC 547** में स्पष्ट किया है कि –

> "As observed by this Court in Rajesh Bajaj v. State NCT of Delhi & Ors. [1999 (3) SCC 259], the High Court or the Magistrate are also not supposed to adopt a strict hyper-technical approach to sieve the complaint through a cullendar of finest gauzes for testing the ingredients of offence with which the accused is charged. Such an endeavour may be justified during trial but not during the initial stage."

08– अतः यदि उपलब्ध सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु पर्याप्त आधार प्रदर्शित करती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा विस्तृत रूप से लिखना आवश्यक नहीं है।

09– इसी प्रकार ***Dharam Pal v. State of Haryana*, 2014 (2) SCC (CRI) 159** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि–

> ".....Magistrate has ample powers to disagree with the Final Report that may be filed by the police authorities under Section 173(3) of the Code and to proceed against the accused persons dehors the police report....."

10– अतः यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध सामग्री से ऐसे व्यक्तियों की संलिप्तता भी प्रथमदृष्टया परिलक्षित होती है, जिन्हें पुलिस ने आरोप–पत्र में अभियुक्त नहीं बनाया है, तो मजिस्ट्रेट धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनके विरुद्ध भी प्रसंज्ञान लेने के लिए सक्षम है। केवल इस आधार पर कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को निर्दोष माना है, मजिस्ट्रेट की स्वतंत्र

न्यायिक संतुष्टि बाधित नहीं होती।

11– हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 161 एवं 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित कथनों, चिकित्सकीय प्रतिवेदनों, मौका मुआयना रिपोर्ट तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री पर विचार किया है। उक्त सामग्री में परिवादी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण पर मारपीट करना, बिना अनुमति ढ़ाणी में प्रवेश करना तथा रास्ता रोकना जैसे आरोप लगाये गए हैं, जिनका चिकित्सकीय साक्ष्य से भी प्रथमदृष्टया समर्थन परिलक्षित होता है। इन तथ्यों के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने केवल धारा 447, 323, 324 एवं 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया तथा धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता सहित अन्य गंभीर अपराधों के संबंध में पर्याप्त सामग्री के अभाव में प्रसंज्ञान लेने से इन्कार किया। इससे स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री का स्वतंत्र न्यायिक परीक्षण कर विवेकपूर्ण निर्णय लिया है; आदेश को किसी भी प्रकार से यांत्रिक अथवा बिना विचार के पारित आदेश नहीं कहा जा सकता।

12– जहाँ तक प्रार्थीगण द्वारा मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल तथा स्वतंत्र गवाह पांचाराम के कथनों पर आधारित बचाव का प्रश्न है, वह प्रतिरक्षा का विषय है। प्रसंज्ञान अथवा आरोप निर्धारण के स्तर पर अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा सामग्री के आधार पर कार्यवाही समाप्त कराने का अधिकार नहीं रखता। ऐसी सामग्री का परीक्षण विचारण के दौरान साक्ष्य के मूल्यांकन के समय ही किया जा सकता है। फलतः उक्त तर्क इस स्तर पर स्वीकार्य नहीं हैं।

13– अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार सम्पूर्ण अभिलेख के परीक्षण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आक्षेपित आदेश उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री पर आधारित है तथा उसमें ऐसी कोई अधिकारगत त्रुटि, विधिक अवैधता अथवा भौतिक अनियमितता परिलक्षित नहीं होती, जिससे पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। अतः प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं पाया जाता। अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य पायी जाती है तथा निगरानी याचिका से संबंधित आक्षेपित आदेश पुष्ट किए जाने योग्य पाया जाता है।

◌:: <u>आदेश</u> ◌::

14– अतः, निगरानीकर्तागण रामकिशोर वगैराह द्वारा गैर निकरानीकर्तागण ओमप्रकाश व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत फौजदारी निगरानी याचिका **अस्वीकार** कर **खारिज** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 06/2023 उनवान सरकार बनाम लिछमणराम में पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 10.07.2025 को यथावत **पुष्ट** किया जाता है। आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को अभिलेख के साथ प्रेषित की जावें।

(विकास राम चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश
जायल(नागौर)

15– आदेश आज दिनांक **23.07.2026** को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास राम चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश
जायल(नागौर)